सरकार जल्द लाएगी टिकाऊ ईंधन नीति

नागर विमानन मंत्री नायडू बोले—एसएएफ से घटेगा तेल आयात, बढ़ेगी किसानों की आमदनी और हरित रोज़गार

नयी दिल्ली,06 नवंबर. नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार बहुत जल्द ही टिकाऊ विमानन ईंधन (एसएएफ) पर एक नीति लेकर आएगी. इससे कच्चे तेल के आयात को कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और अधिक हरित रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी.

राष्ट्रीय राजधानी में एक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एसएएफ (टिकाऊ विमानन ईंधन) को अपनाने के लिए अधिक नवाचार, निवेश एवं सामूहिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है.

नायडू ने कहा कि सरकार बहुत जल्द एक एसएएफ नीति लेकर आएगी .मंत्री ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अलावा, एसएएफ किसानों की आय में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि करके उन्हें सशक्त बना सकता है .नायडू ने कहा कि एसएएफ उत्पादन हमारे कच्चे तेल के आयात खर्च को हर साल पांच से सात अरब अमेरिकी डॉलर तक कम करने के साथ-साथ एसएएफ मूल्य श्रृंखला में 10 लाख से अधिक हरित रोजगार सृजित करने में भी मदद कर सकता है .

भारत का लक्ष्य 2027 तक विमान ईंधन में एसएएफ का एक प्रतिशत, 2028 तक दो प्रतिशत तथा 2030 तक पांच प्रतिशत मिश्रण करना है. एसएएफ का उपयोग विमानन टरबाइन ईंधन में 'ड्रॉप-इन' ईंधन के रूप में किया जा सकता है जो विमानों को शक्ति प्रदान करता है. मंत्री ने कहा कि तेल कंपनियों के अलावा निजी कंपनियों को भी एसएएफ उत्पादन में शामिल होना चाहिए.वैश्विक स्तर पर 2040 तक एसएएफ की आवश्यकता 18.3 करोड़ टन होने का अनुमान है. नायडू ने कहा, ''कच्चे माल से लेकर ईंधन तक, किसानों से लेकर विमान चालकों तक तथा तलने से लेकर उड़ान भरने तकज्वास्तव में किसने सोचा होगा कि समोसे तलने वाले भी इस पूरे वैश्विक विमानन आंदोलन (एसएएफ पर) में हिस्सा ले सकते हैं.भारत में 75 करोड़ टन से अधिक 'बायोमास' उपलब्ध है और लगभग 21.3 करोड़ टन अधिशेष कृषि अवशेष है.

वैश्विक एसएएफ वर्तमान में बहुत कम है.मंत्री ने कहा कि देश अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर एसएएफ का उत्पादन कर सकता है.

सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार दूसरे दिन गिरावट

मुंबई 06 नवंबर. भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 6 नवंबर को बिकवाली का दबाव गहराया. सेंसेक्स और निफ्टी 50 लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. मिड और स्मॉल-कैप शेयरों में भारी गिरावट से निवेशकों की संपत्ति में लगभग 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक या 0.18 प्रतिशत गिरकर 83,311 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 88 अंक या 0.34 प्रतिशत टूटकर 25,509.70 पर आ गया. वहीं, मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेत, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और घरेलू आर्थिक आंकड़ों में सुस्ती ने बाजार पर दबाव बनाया.

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता जल्द

गोयल ने कहा- समझौते से किसानों और छोटे व्यवसायों को बड़ा लाभ

सात महीनों में पाँच दौर की बातचीत, अप्रत्याशित गति से आगे बढ़ी प्रक्रिया

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूती देते हुए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं. गोयल ने गुरुवार को न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले के गहन चर्चा के बाद यह बात कही.

न्यूजीलैंड में एक सामुदायिक स्वागत समारोह में भाग लेने के बाद, गोयल ने एएनआई से खास बातचीत में कहा, 'मुझे लगता है कि हम जल्द ही न्यूजीलैंड के साथ एक एफटीए हासिल कर सकते हैं.'

किसानों, मछुआरों और छोटे व्यवसायों को लाभ

गोयल ने इस समझौते को 'महत्वपूर्ण' बताते हुए कहा कि यह दोनों देशों के किसानों, मछुआरों और छोटे व्यवसायियों के लिए लाभकारी होगा . इससे दोनों देशों में निवेश, व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा . उन्होंने जोर दिया कि भारत और न्यूजीलैंड एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते, बल्कि वैश्विक व्यापार का विस्तार करने के लिए मिलकर काम करते हैं .

उन्होंने अपनी इस यात्रा को 'बहुत उपयोगी' बताया और कहा कि मार्च में शुरू हुई वार्ताओं में 'सम्मान और समायोजन की भावना' ने मार्गदर्शन किया है.

गोयल ने बताया कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और अब केवल कुछ ही बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा, 'हमारी टीमों ने शानदार काम किया है. समायोजन की भावना से बहुत सी बातें समाप्त हो चुकी हैं.' उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समझौता व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और कृषि के क्षेत्रों में एक लंबी साझेदारी का शुरुआती बिंदु होगा.

एनबीसीसी लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया में परियोजनाएं करने के लिए तैयार

गोल्डफील्ड्स ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

कैनबरा, 06 नवबंर. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया में रियल एस्टेट, अवसंरचना और पुनर्विकास परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए मेलबर्न स्थित एक अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर गोल्डफील्ड्स ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

समझौता ज्ञापन पर प्रदीप शर्मा, कार्यपालक निदेशक (व्यापार प्रसार), एनबीसीसी और श्री डॉ. हर्षवर्धन, प्रबंध निदेशक, मेडअचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड (गोल्डफील्ड्स ऑस्ट्रेलिया के अनन्य एवं आधिकारिक भागीदार) ने हस्ताक्षर किए. श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी; श्री मार्को गैटिनो, प्रबंध निदेशक, गोल्डफील्ड्स ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड; डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य) और श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त) की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

यह समझौता ज्ञापन दोनों संगठनों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और संरचनाओं के आधार पर परियोजनाओं की पहचान, विकास और निष्पादन के लिए साझेदारी की रूपरेखा स्थापित करता है.

इस सहयोग का उद्देश्य मेलबर्न, ब्रिस्बेन और पर्थ सहित प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई शहरों में आवासीय अपार्टमेंट, बिल्ड-टू-रेंट परियोजनाएं, मास्टर-प्लान्ड समुदाय, आतिथ्य, वाणिज्यिक कार्यालय टावर और मिश्रित उपयोग वाले परिसर विकसित करने में गोल्डफील्ड्स के व्यापक अनुभव के साथ निर्माण, इंजीनियरी और परियोजना प्रबंधन में एनबीसीसी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता को जोड़ना है . इस समझौते के तहत, एनबीसीसी भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में ऑस्ट्रेलिया में एक शाखा कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू करेगा .

पावर ग्रिड का प्रतियोगिता आयोजन

नागपुर, 06 नवबंर. केंन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन में महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड केक्षेत्रीय मुख्यालय, प. क्षे.-1,नागपुर में सतर्कता-हमारी साझा जिम्मेदारी/थीम के साथ अवधि में सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2025 मनाया गया.

इसी तारतम्य में तक सतर्कता-हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल,कोराडी रोड, नागपुर में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया . इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में विद्यालय के छात्रों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया . प्रतियोगिता के उपरांत विजयी प्रतिभागियों को पावर ग्रिड अधिकारियो द्वारा प्रथम ,द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया. इस कार्यक्रम के दौरान सतर्कता विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए पैम्फलेट वितरित किए गए औरएक सेल्फी पाइंट भी स्थापित किया गया था.

एसबीआई फंड्स का आयेगा आईपीओ

मुंबई. भारतीय स्टेट बैंक की इकाई एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम अगले साल आयेगा. एसबीआई ने गुरुवार को शेयर बाजार को बताया कि वह एसबीआईएफएमएल में अपनी लगभग 6.3 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी. इसके अलावा दूसरी प्रवर्तक कंपनी अमुंडी इंडिया होल्डिंग अपने 1,88,30,000 शेयर (लगभग 3.7 प्रतिशत) शेयर बेचेगी. इस प्रकार कुल मिलाकर ओएफएस के लिए 5,08,90,000 (करीब 10 प्रतिशत) शेयर उपलब्ध होंगे.

जियो का आएगा रिकॉर्ड तोड़ आईपीओ

नई दिल्ली, 06 नवबंर. जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की वैल्यूएशन 170 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है. निवेश बैंकरों का मानना है कि कंपनी का संभावित मूल्यांकन इसे भारत की सबसे बड़ी दो या तीन कंपनियों में शामिल कर सकता है.

यह आंकड़ा भारती एयरटेल जैसी कंपनियों से भी कहीं अधिक है. एयरटेल का मौजूदा वैल्यूएशन लगभग 12.7 लाख करोड़ रुपये है. जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का आईपीओ, 2006 के बाद रिलायंस से जुड़ी किसी बड़ी यूनिट का पहला सार्वजनिक आईपीओ होगा. बताते चलें कि 2006 में रिलायंस पेट्रोलियम की लिस्टिंग हुई थी. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, निवेश बैंकरों ने जियो के लिए 130 अरब डॉलर से लेकर 170 अरब डॉलर तक का वैल्यूएशन प्रस्तावित किया है. जिसपर चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं और अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. इससे पहले देश के नामी ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सितंबर-27 में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के इक्विटी वैल्यु को अपग्रेड करके 148 अरब अमेरिकी डॉलर कर दिया था. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगस्त में कहा था कि जियो की लिस्टिंग 2026 की पहली छमाही में हो सकती है.

सनफार्मा को दूसरी तिमाही में 3,118 करोड़ रुपये का मुनाफा

मुंबई, 06 नवंबर. दवा बनाने वाली अग्रणी कंपनी सनफार्मा को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में समग्र आधार पर 3,118 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है जो सालाना आधार पर 2.6 प्रतिशत की वृद्धि है. कंपनी के निदेशक मंडल की बुधवार को हुई बैठक के बाद वित्तीय परिणामों की घोषणा की गयी.

पश्चिम मध्य रेल (वाणिज्य शाखा)

No.: C/BPL/BAQ/NFR/E-Auction/2025/01 Date: 03/11/2025

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल भोपाल द्वारा वाणिज्यिक प्रचार के ठेके स्थापित करने हेतु जगह के आवंटन हेतु ई-ऑक्शन आमंत्रित की जाती है। ई-ऑक्शन के Catalogue IREPS (www.ireps.gov.in) पर उपलब्ध है। Catalogue की जानकारी इस प्रकार है।

Sr. No.	Catalogue Number	Type of Contract	Lot No./Bid No.	Contract Period	Date and time of close of e-auction
01	C-BPL-PNU -BAQ 25-1	Pay & Use	PnU-BPL-BAQ-Toi-2025-01	3 Years	17.11.2025 at 12:30 hrs

संपूर्ण जानकारी, अनुबंध की सामान्य शर्तें एवं अनुबंध की विशेष शर्तें www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। प्रतिभागी पोर्टल पर जाकर विवरण प्राप्त कर सकते है। कृते मंडल रेल प्रबंधक(वा) पश्चिम मध्य रेल भोपाल

खान-पान से संबंधित शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर 1800111321 पर सम्पर्क करें। 408/2025

पावरग्रिड POWERGRID

सूचना

1. ''आरई जेनकोस की कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए भुज पीएस में एसटीएम -16 क्षमता के अतिरिक्त एफओटीईं की आवश्यकता'' के तहत भुज पीएस में एसटीएम -16 क्षमता के दो अतिरिक्त एफओटीई (5 एमएसपी तेजस प्रस्तुतकारक) के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (डी) के साथ पठित धारा 62 और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनियमों के नियम और शर्तें) 2024 के साथ पठित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15 (1) (ए) और विनियम 23 के तहत टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका। उपर्युक्त पारेषण प्रणाली के लाभार्थी हैं: (1) एमपीपीएमसीएल, जबलपुर (2) एमएसईडीसीएल, मुंबई (3) जीयूवीएनएल, वडोदरा (4) विद्युत विभाग, गोवा सरकार, पणजी, (5) डीएनएचडीडीपीसीएल, सिलवासा (6) सीएसपीडीसीएल, रायपुर
2. टैरिफ का विवरण:
   परियोजना का एससीओडी: 09.07.2024
   परियोजना के लिए स्वीकृत लागत: 40.53 लाख
   पूर्ण करने की अनुमानित लागत: 39.01 लाख

2024-29 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ (₹ लाख में)

परिसंपत्ति की संख्या	परिसंपत्ति का नाम एवं इसका स्थान	सीओडी	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	भुज पीएस में एसटीएम -16 क्षमता के दो अतिरिक्त एफओटीई (5 एमएसपी तेजस प्रस्तुतकारक)	06.10.2024	3.13	10.80	10.31	9.84	9.35

4. टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रस्तुत आवेदन की एक प्रति आवेदक की वेबसाइट www.powergrid.in पर प्रदान की गई है।
5. आवेदन में संलग्न टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रस्तावों पर कोई भी सुझाव एवं आपत्तियाँ, लाभार्थी समेत किसी भी व्यक्ति द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर इसके कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर आवेदक को एक प्रति के साथ सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनायमक आयोग, छठा, सातवाँ एवं आठवाँ तल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 (या अन्य पता जहाँ आयोग का कार्यालय स्थित है) के समक्ष दर्ज की जाएंगी।

स्थान: गुरुग्राम — हस्ता/-
तिथि: 06.11.2025 — महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
कॉर्पोरेट कार्यालय: सौदामिनी, प्लॉट नं.-2, सेक्टर-29, गुड़गांव, हरियाणा-122001
पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016
वेबसाइट: www.powergrid.in **ईमेल आईडी:** investors@powergrid.in, **सीआईएन:** L40101DL1989GOI038121
A Maharatna PSU

इचलकरंजी महानगरपालिका, इचलकरंजी
ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर

जाहिर ई निविदा सूचना क्र. ५/२०२५-२०२६
मुदतवाढ

इचलकरंजी महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून इचलकरंजी शहरातील नेमून दिलेल्या क्षेत्रामध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाशी निगडीत कामकाजाकरीता मनुष्यबळ पुरविणे कामांची जाहीर ई निविदा क्रं. ५/२०२५-२६ या निविदेमधील वरील कामांस सदर ई निविदा सादर करण्याचा अंतिम दि. १७/११/२०२५ दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत अशी मुदतवाढ देणेत येत आहे.

शक्य झालेस निविदा दि. १८/११/२०२५ दुपारी ४.०० वाजता उपस्थित मक्तेदारांच्या समोर ऑनलाईन पध्दतीने उघडणेत येतील. सविस्तर जाहिरात www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सही/-
उपायुक्त
इचलकरंजी महानगरपालिका

प्राकृतिक रंगों व पारंपरिक तरीकों से बढ़ा सर्कुलर इकोनॉमी

नई दिल्ली, 06 नवंबर. एशिया-प्रशांत क्षेत्र की पारंपरिक कलाएं - जैसे सिंध की अजरख छपाई, बंगाल की जामदानी बुनाई, जापान की आइजोमे इंडिगो डाई तकनीक या फिलीपींस की बांस बुनाई - केवल कला नहीं, बल्कि सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन की सशक्त मिसाल हैं.

ये शिल्प न केवल सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखते हैं, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प क्षेत्र एसडीजी 8 (सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि) में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. उदाहरण के तौर पर, इंडोनेशिया की 'टेनुन इकत' बुनाई सहकारी समितियां ग्रामीण कारीगरों को स्थायी रोजगार दे रही हैं. भारत में भी इसी मॉडल को अपनाकर शिल्प समूहों को माइक्रोफाइनेंस और टैक्स रियायत देकर सशक्त बनाया जा सकता है.

एसडीजी 12 के तहत पारंपरिक कारीगरों द्वारा प्राकृतिक रंगों और पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों का उपयोग सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करता है. कॉर्पोरेट सीएसआर योजनाओं के माध्यम से इन शिल्पकारों को सहयोग देना सतत उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है.

CHANGE OF NAME

I, Praveen Kumar, son of Ram Niwas Sharma, residing at Bhopal (M.P.), declare that I have changed my name to Praveen Kumar Sharma for passport issuance. Both names refer to the same person, i.e., myself All Concerned May Note.

नाम परिर्वतन सूचना

मैं महेंद्र सिंह सिसोदिया आत्मज श्री भवर सिंह सिसोदिया आयु वयस्क निवासी बी-403, चतुर्थ तल, UB सिटी कोलार रोड भोपाल (म.प्र.)। मेरे पासपोर्ट में मेरा अर्ध नाम महेंद्र सिंह त्रुटिवश अंकित हो गया है। मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड दस्तावेज में मेरा नाम महेंद्र सिंह सिसोदिया दर्ज है जो सही एवं सत्य है। अतः भविष्य में सभी शासकीय/ अशासकीय दस्तावेजो मे मेरा नाम महेंद्र सिंह सिसोदिया के नाम से जाना व पहचाना जावे।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	94067352 & 46211299	संपत्ति के बदले ऋण	18.10.2025	8,11,936.89/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. मनीष जाट 2. जया जाट

संपत्ति का पता: पूरी प्रॉपर्टी जिसका कुल एरिया 1820 स्क्वेयर फीट या 169.14 स्क्वेयर मीटर है (लंबाई: 52 फीट और चौड़ाई: 35 फीट), जो रेवेन्यू लैंड खसरा नंबर 4/1, पी.एच. नंबर 71, गांवः मेदाद, ग्राम पंचायतः सेजवानी, तहसीलः देपालपुर, जिलाः इंदौर, मध्य प्रदेश-453001 में स्थित है, और जिसकी बाउंड्री इस प्रकार है:- पूर्वः खुला प्लॉट और सड़क पश्चिमः अपनी जमीन, उत्तरः भागीरथ का घर, दक्षिणः दिनेश का घर

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 07.11.2025
स्थान: भोपाल
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

पश्चिम मध्य रेल

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-एम.पी.-अ.-03112025-267326
असाधारण
भाग II-खण्ड3-उप-खण्ड(ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 4701 नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947

रेल मंत्रालय
[पश्चिम मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट)]
अधिसूचना
भोपाल, 23 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4815(अ),- केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम 2008) की धारा 20(क) की उप धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में विशेष रेल परियोजना समपार फाटक क्रमांक 262 के बदले रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उप धारा(1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेय सक्षम अधिकारी अर्थात सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग-रायसेन, जिला रायसेन म.प्र. को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आपेक्षो की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो अपेक्षों की अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग रायसेन व उप मुख्य अभियंता, गति शक्ति यूनिट भोपाल के कार्यालय में उनका निरिक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के भोपाल-बीना खण्ड रेलवे लाईन में रेलवे ओवर ब्रिज (262) निर्माण परियोजना के लिये अधीग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिलाः रायसेन, तहसीलः रायसेन, उप-तहसील-साँची, ग्राम-मुडियाखेडा

क्रम सं.	खसरा संख्या	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का रकबा	भूमि का प्रकार निजी/शासकीय	भूमि की प्रकृति कृषि/पडत	भूमि सिंचित /असिंचित
1	36/2/2	0.607	0.054	निजी	कृषि भूमि	सिंचित
2	36/2/1	0.700	0.060	निजी	कृषि भूमि	सिंचित
3	36/2/3	1.214	0.110	निजी	कृषि भूमि	सिंचित
4	36/1/1/1/1/2	1.214	0.037	निजी	कृषि भूमि	सिंचित
5	36/1/5	0.914	0.080	निजी	कृषि भूमि	सिंचित
6	36/1/6/1	0.309	0.026	निजी	कृषि भूमि	सिंचित
7	36/1/6/2	0.303	0.026	निजी	कृषि भूमि	सिंचित
8	36/1/6/3	0.303	0.026	निजी	कृषि भूमि	सिंचित
9	36/1/7	0.918	0.080	निजी	कृषि भूमि	सिंचित
10	67/1/1	0.425	0.017	निजी	कृषि भूमि	सिंचित
11	67/1/2/1	2.388	0.103	निजी	कृषि भूमि	सिंचित
12	68	0.125	0.015	निजी	कृषि भूमि	सिंचित
13	36/1/2	1.376	0.010	निजी	कृषि भूमि	सिंचित
14	36/1/3	1.376	0.005	निजी	कृषि भूमि	सिंचित
कुल भूमि रकबा -		12.172हेक्ट.	0.649 हेक्ट.			

[फा.सं. WCR-BPL-0 GSU (GSMS)/10/2025/262]
अनुपम अवस्थी, मुख्य परियोजना प्रबंधक

खान-पान से संबंधित शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर 1800111321 पर सम्पर्क करें। 407/2025

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
मानित विश्वविद्यालय
INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE — AACSB ACCREDITED

फुल टाइम एमबीए 2026-28 प्रोग्राम्स में एडमिशन की घोषणा

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (IIFT), जिसे 1963 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था, देश के टॉप बिजनेस स्कूलों में से एक है, जो भारत के बाहरी व्यापार क्षेत्र के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है. यह इंस्टीट्यूट एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, जिसके पास प्रतिष्ठित AACSB एक्रेडिटेशन और 'A+' NAAC रैंकिंग है.

IIFT निम्नलिखित 2 साल के फुल टाइम MBA प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है :-

1. MBA (इंटरनेशनल बिजनेस) 2026-28 प्रोग्राम दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा और GIFT सिटी कैंपस में.
2. MBA (बिजनेस एनालिटिक्स) 2026-28 प्रोग्राम दिल्ली कैंपस में.

महत्वपूर्ण जानकारी :-

एडमिशन इसके माध्यम से होगा :	CAT 2025 स्कोर और सिलेक्शन क्राइटेरिया के अनुसार अन्य निर्धारित पैरामीटर.
आरक्षण	SC/ST/PwD/OBC (NCL) /EWS के लिए आरक्षण भारत सरकार के नियमों के अनुसार है.
ऑनलाइन आवेदन की तारीखें	17.10.2025 से 28.11.2025 तक
आवेदन शुल्क	MBA(IB) के लिए - Rs.3000/- (SC/ST/PwD/ट्रांसजेंडर के लिए Rs.1500/-) MBA(BA) के लिए - Rs.2000/- (SC/ST/PwD/ट्रांसजेंडर के लिए Rs.1000/-)

IIFT उपरोक्त प्रोग्राम/प्रोग्राम्स के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने/चुनने के लिए CAT 2025 स्कोर का उपयोग करेगा. IIMs की सिलेक्शन प्रोसेस या प्रोग्राम के संचालन में कोई भूमिका नहीं है.

अन्य विवरण जैसे पात्रता, सीटों की संख्या, सिलेक्शन क्राइटेरिया आदि IIFT की वेबसाइट www.iift.ac.in पर उपलब्ध प्रॉस्पेक्टस में दिए गए हैं. इच्छुक उम्मीदवार IIFT वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया एडमिशन सेल से 011-39147213/9773698083 पर संपर्क करें या admission@iift.edu पर लिखें.

सीबीसी-05103/12/0010/2526 — गौरव गुलाटी, रजिस्ट्रार